कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

MBBS में पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाने के नाम पर

60 लाख रुपये की धोखाधडी का एक और पीड़ित आया सामने

जयपुर, 11मई। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाने के नाम पर अभियुक्त अशोक गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता, विक्रम सिन्हा द्वारा 60 लाख रुपये की धोखाधडी करने पर अभियोग दर्ज किया गया।

अतिरिक्त महानिदेशक, एटीएस एवं एसओजी उमेश मिश्रा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि 07 मई .2017 को NEET–UG 2017 प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र के लीक प्रकरण में अभियुक्त अशोक गुप्ता, विक्रम सिन्हा, विकास सिन्हा, भूपेन्द्र शर्मा, शशांक उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने बताया कि उक्त इस गिरोह द्वारा अन्य भी विभिन्न परीक्षार्थियों से धोखाधडी करके रुपये लेने के तथ्य सामने आये हैं। भरतपुर निवासी श्री हेमराजसिंह ने इसी क्रम में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इनके भतीजे का एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सरकारी कॉलेज में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर विक्रम सिन्हा ने जयपुर में जनवरी 2017 को एक लाख रुपये बतौर रजिस्टेशन व अप्रैल 2017 में अशोक गुप्ता व उमाशंकर गुप्ता ने दिल्ली में 10,00000 रुपये नकद व दस दस लाख रुपये के 5 चैक धोखाधडी करके प्राप्त किये। जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

अतिरिक्त महानिदेशक, एटीएस एवं एसओजी ने बताया कि यदि इस प्रकरण से संबंधित कोई भी अन्य पीडित हो तो वह सामने आकर अपने तथ्य रख सकता है।

———

प्रेसनोट (2)

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 50 लाख रुपये कीमत की 200 ग्राम अवैध ब्राऊन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

जयपुर,11 मई। प्रतापगढ जिले के अरनोद थाना अन्तर्गत पुलिस टीम ने आकस्मिक चैकिंग के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपये की कीमत की 200 ग्राम अवैध ब्राउनशुगर बरामद कर अभियुक्त को गिरफतार किया।

प्रतापगढ़ के नवपदस्थापन के प्रथम दिन 10 मई 2017 को पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज मीणा के निर्देशन में अरनोद थाना इंचार्ज श्री मनोहरसिंह, उप निरीक्षक मय पुलिस टीम ने आकस्मिक चैकिंग के दौरान आरोपी मयूर खॉ पिता शेर खॉ मुसलमान निवासी देवल्दी के कब्जे से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपये की कीमत की 200 ग्राम अवैध ब्राउनशुगर बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

नवपदस्थापन के प्रथम दिवस ही जिला पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज मीणा द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिये समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करने के बाद 11.मई 2017 की रात्रि को इंचार्ज थाना अरनोद श्री मनोहरसिंह उप निरीक्षक मय पुलिस टीम श्री सांवरमल हैड कानिस्टेबल एवं कानिस्टेबल श्री कन्हैयालाल, सुरेन्द्र, बाबुलाल द्वारा रात्रि गश्त के दौरान कस्बा अरनोद में बस स्टेण्ड पर किसी वाहन के इंतजार में खड़े एक युवक मयुर खॉ पुत्र शेर खां निवासी देवल्दी थाना अरनोद की तलाशी ली तो उसके बैग से 200 ग्राम ब्राऊन शुगर पाई गई।

उन्होंने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रूपये कीमत बताई जा रही हैं। नियमानुसार आरोपी को गिरफ्तार कर थाना अरनोद पर एन.डी.पी. एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज आरोपी से बरामद ब्राउन शुगर कहां से लाया व कहां सप्लाई करने जा रहा था इस सम्बन्ध में गहन पूछताछ की जा रही हैं।

10 कार्टन बीयर एवं 5 कार्टन देशी शराब परिवहन करते हुए कार चालक गिरफ्तार

जयपुर, 11 मई। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूँट थाना पुलिस टीम द्वारा कार चालक श्री मुकेश पिता देवचन्द्र जाति कलाल उम्र 32 साल निवासी मुडासेल थाना खमेरा जिला बांसवाडा को अवैध शराब परिवहन करते हुए को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

प्रतापगढ जिले के नवपदस्थापित पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज मीणा के निर्देशन में अवैध शराब की धरपकड़ के तहत कार्यवाही करते हुए 10 मई .2017 की सांयकाल अवैध शराब की धरपकड के क्रम में मुखबीर सूचना पर माही पूल पर नाकाबन्दी कर थाना पीपलखूँट के श्री कंवरलाल सहायक उप निरीक्षक मय पुलिस टीम हैड कानि श्री चंदूलाल कानिस्टेबल श्री अर्जून सिंह, श्री रमेश कुमार, श्री तेजपाल, मनोज कुमार, श्री शिवराज के हल्का गश्त करता हुआ माही पुल एक सफेद रंग की अल्टो कार में किंगफिशर ब्राण्ड की बीयर के 10 कार्टन तथा देशी शराब के 5 कार्टन परिवहन करते हुए श्री मुकेश पिता देवचन्द्र जाति कलाल उम्र 32 साल निवासी मुडासेल को गिरफ्तार कर परिवहन हेतु प्रयुक्त अल्टो कार नम्बर आर.जे.– 03 सीए– 6622 को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर, आरोपी से शराब कहां से लाया व कहां ले जा रहा था इस बाबत् गहन पूछताछ की जा रही है।

———

राही/मनीष/अमन/375–77/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

कैमरी के जगदीश धाम मन्दिर में हुई चोरी का पर्दाफाश

चार मुलजिम गिरफ्तार ,चोरी का माल बरामद

जयपुर, 11 मई। करौली के ग्राम कैमरी में स्थित जगदीश धाम मन्दिर से भगवान जगदीश के चांदी के आभूषण और दान की नगद राशि को अज्ञात चोरों द्वारा चुराकर ले जाने की घटना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थानाधिकारी नादौती व गठित टीम द्वारा पर्दाफाश कर दिया गया तथा पुलिस ने चार मुल्जिमों को हिरासत में लेकर उनसे चोरी गया माल भी बरामद कर लिया गया।

करौली पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कयाल ने आज यह जानकारी देते हुंए बताया कि 25 मार्च, 2017 की रात्रि को अज्ञात चोरों ने करौली के केमरी ग्राम स्थित प्रसिद्ध मंदिर जगदीश धाम से भगवान जगदीश के चांदी के आभूषण और दान की नकद राशि ले गये थे। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 10 मई 2017 को रामसिंह उर्फ पप्पू पुत्र शंकरलाल उम्र 35 साल जाति बागरिया मोगिया निवासी खानाबदोश हाल डेरा बडागाव थाना बांदीकुई जिला दौसा, मुंशी उर्फ रामदयाल पुत्र जगदीश उम्र 45साल जाति बागरिया मोगिया निवासी खानाबदोश हाल डेरा रिजवास थाना बरौनी, जिला टोंक हाल डेरा गणेशपुरा

थाना सदर दौसा जिला दौसा वर्तमान डेरा जमात थाना लालसोट, जिला दौसा, लंगडिया उर्फ विजेन्द्र उर्फ राकेश पुत्र काडू उर्फ काडूराम उर्फ अर्जुन उम्र 30 साल जाति मोगिया बागरिया निवासी खानाबदोश हालडेरा गणेशपुरा थाना सदर दौसा, जिला दौसा हाल भौलू का झोपडा थाना बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर व चोरी के माल के खरीददार पिन्टू उर्फ भूपेश पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 42 साल जाति सोनी निवासी सोनी मार्केट राज बाजार थाना बांदीकुई जिला दौसा को मय चोरी गये माल के गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल हासिल हुई है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 26 मार्च 17 को रामनिवास पुत्र श्री गबदू राम गुर्जर उम्र 62 साल जाति गुर्जर निवासी ढण्ड का पुरा तन कैमरी पुलिस थाना नादौती जिला करौली हाल अध्यक्ष मंन्दिर विकास कमेटी जगदीश धाम कैमरी ने थाना नादौती एक रिपोर्ट पेश की कि भगवान जगदीश के मंदिर से 26 मार्च 2017 की रात बारह बजे के बाद चोरी हो गई, इसमें हाथ चॉदी के बडे नग 4 वजन 4 कि. ग्रा., 2 हाथ चॉदी के छोटे नग 4 वजन 2 कि.ग्रा, हल चॉदी का नग एक वजन एक कि.ग्रा., छत्तर चॉदी का नग 1 वजन 250 ग्राम, बासुरी चॉदी की नग 1 वजन 250 ग्राम, देशी घी की टंकी नग 1 वजन 10 कि.ग्रा., गंगा जल की पीपी नग 1 वजन 5 कि.ग्रा., नगद राशि 5 हजार रुपया, व छडी चॉदी की वजन 2 किलो 500 ग्राम, चोरी हो गई है। इस पर थाना नादौती पर अभियोग संख्या 74/17 धारा 457,380 भा.द.स. में दर्ज किया गया। स्थानीय जनता में अपने अराध्य देव जगदीश भगवान के हाथों से आभूषण ले जाने की घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त हो गया व जगह–जगह धरना प्रर्दशन किये जाने लगे जिससे क्षेत्र में कानून–व्यवस्था प्रभावित होने लगी।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मन पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी टोडाभीम व थानाधिकारी नादौती द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आस–पास के गणमान्य नागरिकों से गम्भीरता से पूछताछ की तथा स्वंय के सुपरवीजन में वृत्ताधिकारी टोडाभीम के नेतृत्व मे तीन पुलिस टीम जिनमें थानाधिकारी नादौती, थानाधिकारी सूरौठ प्रभारी क्यू.आर.टी. व साईबर सैल प्रभारी का गठन कर त्वरित व आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

गठित पुलिस टीमों द्वारा दिन–रात कड़ी मेहनत करते हुए व आधुनिक तकनीकी विधियों का प्रयोग करते हुए संदिग्धों से गहन पूछताछ की व इनके छुपे हुए स्थानों पर दबिश दी गई जिससे आरोपी घबराकर अपना स्थान छोडकर इधर–उधर शरण लेने की फिराक में घूमने लगे। 10.मई 2017 को सूचना मिली कि चोरी में सम्मलित संदिग्ध बामनवास, लालसोट व मानपुर में देखे गये है, इस पर गठित टीम में से थानाधिकारी नादौती श्री रघुवीरसिंह पुलिस निरीक्षक मय भंवरसिंह कर्दम सहायक उप निरीक्षक, सुमेरसिंह हैड कानि. 88, घनश्याम हैड कानि. 111, गजराजसिंह हैड कानि. 81 व कानि. हरीसिंह, नरेन्द्रसिंह, संदीप, राजेश व देशराज के बामनवास, लालसोट व मानपुर इलाके में पहुंचे।

मानपुर से रामसिंह उर्फ पप्पू पुत्र शंकरलाल उम्र 35 साल जाति बागरिया मोगिया निवासी खानावदोश हाल डेरा बडागाव थाना बांदीकुई जिला दौसा एवं लालसोट से मुंशी उर्फ रामदयाल पुत्र जगदीश उम्र 45 साल जाति बागरिया मोगिया निवासी खानावदोश हाल डेरा रिजवास थाना बरौनी जिला टोंक हाल डेरा गणेशपुरा थाना सदर दौसा जिला दौसा वर्तमान डेरा जमात थाना लालसोट जिला दौसा बामनवास से लंगडिया उर्फ विजेन्द्र उर्फ राकेश पुत्र काडू उर्फ काडूराम उर्फ अर्जुन उम्र 30 साल जाति मोगिया बागरिया निवासी खानावदोश हालडेरा गणेशपुरा थाना सदर दौसा जिला दौसा हाल भौलू का झोपडा थाना वामनवास जिला सवाईमाधोपुर को थाने पर लेकर आये। इनसे चोरी के बारे में गठित टीम द्वारा कठोरता से पूछताछ की तो इन्होंने जगदीश जी धाम मन्दिर कैमरी से चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी गये आभूषणों को भट्टी में गलाकर बांदीकुई स्थित पिन्टू उर्फ भूपेश सोनी को बेचना बताया जिस पर 10 मई 2017 को ही चोरी का माल खरीदने के आरोपी पिन्टू उर्फ भूपेश पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 42 साल जाति सोनी निवासी सोनी मार्केट राजबाजार थाना बांदीकुई जिला दौसा को गिरफ्तार कर खरीदा गया चोरी का माल बरामद किया गया।

गिरफ्तार मुलजिमों ने पूछताछ में बताया कि रामसिंह बाबरिया व उसका भाई रणजीत बालाखेडा के हार में जंगली जानवरों से फसल की रखवाली करते थे। घटना के 4—5 दिन पूर्व रामसिंह भीख मांगने के बहाने मन्दिर जगदीश धाम कैमरी गया जहॉ पर उसने दो तिजोरी देखी और उसने तिजोरी तोडने की योजना बनाई। वापस आकर उसने अपने भाई रणजीत व अन्य अभियुक्तों को बुलाकर चोरी करने की योजना बनाई। दिनांक 25.03.2017 की रात्रि को लगभग 1 बजे रामसिंह, रणजीत, मुंशी, लगड़िया, अर्जुन, सोनू व कोकाणी बाबरिया मन्दिर पहुंचे। मन्दिर परिसर के बगल वाले चैनल गेट का ताला तोडकर मन्दिर परिसर में घुसकर मन्दिर परिसर के कमरों में सो रहे पुजारी के कमरे के किवाड को बाहर से मन्दिर के झण्डे से बांध दिया और मुख्य मन्दिर का चैनल गेट को तोडकर अन्दर प्रवेश कर गये तथा तिजोरी को तोडने का प्रयास किया परन्तु तिजोरी तोडने में सफल नहीं होने पर इन्होंने जगदीश जी भगवान के चांदी के हाथ व आभूषण व चढावे की राशि, घी का पीपा तथा गंगाजल को चोरी कर ले गये। इनके द्वारा चोरी किये गये माल को डेरे पर ले जाकर चांदी के आभूषणों को भट्टी में गलाकर बांदीकुई में पिन्टू उर्फ भूपेश सुनार को 40 हजार रुपये में बेच दिया तथा प्राप्त राशि को आपस में बांट लिया।

चोरी की इस वारदात के पर्दाफाश में पुलिस अधीक्षक अधीक्षक कार्यालय की साईबर सैल टीम प्रभारी घनश्याम हैड कानि. 111 व थानाधिकारी नादौती रघुवीरसिंह पुलिस निरीक्षक, भंवरसिंह कर्दम सहायक उप निरीक्षक, सुमेरसिंह हैड कानि. 88, गजराजसिंह हैड कानि. 81 व कानि. 161 हरीसिंह, कानि. 172 नरेन्द्रसिंह, कानि. 1004 संदीप, कानि. 139 राजेश व कानि. चालक देशराज का विशेष योगदान रहा है जिसके लिए इन्हे नकद इनाम मय प्रसंशा पत्र से पुरस्कृत किया जावेगा। गिरफ्तारी से शेष मुलजिमों की गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास जारी है। मुलजिमों से गहन पूछताछ की जा रही है। जिसमें इनके द्वारा की गई अन्य वारदातों के खुलने की उम्मीद है।

———

राही / मनीष / अमन / 374 / 2017

नोटः— उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।